(28)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी-4653/2018/रतलाम/भू.रा.

टीकमसिंह पिता स्व.बालूसिंह जी राजपूत

आयु 50 वर्ष व्यवसाय– खेती

निवासी– ग्राम सेजावता तह व

जिला रतलाम — अपीलांट

विरूद्ध

1–श्रीमती आशा कुंवर पति स्व.यज्ञनारायण

सिंह राजपूत आयु 55 वर्ष धंधा गृहकार्य

निवासी– पुंष्पाजली नगर, उज्जैन

2–भुपेन्द्र सिंह पिता स्व.यज्ञनारायण सिंह

राजपूत आयु 31 वर्ष धंधा कृषि

निवासी– पुंष्पाजली नगर, उज्जैन

3–बबली कुंवर पिता स्व.यज्ञनारायण सिंह

राजपूत आयु 28 वर्ष धंधा गृहकार्य

निवासी– पुंष्पाजली नगर, उज्जैन — रेस्पाडेंटगण

<u>**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.**</u>

मान्यवर महोदय,

मै अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, द्वारा प्रकरण क्रं. 37–अपील/2017–18 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.18 से असंतुष्ट होकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4653/2018/रतलाम/भू.रा. **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-18	**आवेदक** की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। **आवेदक** की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधि**कारी के** आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता **में दिनांक** 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन **संशोधि**त संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) **के अंत**र्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध **सुनवाई** कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई **हेतु** कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई **हेतु** दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष **उपस्थि**त हों। **प्रशासकीय सदस्य**	